



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी

Email:-
eeprngsykalsi@rediffmail.com
Tel:- 01360-275015

पत्र सं०: १० / २२सी देहरादून (मिनिर)
सेवा में,

दिनांक: ११ / ०६ / २०१९

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषय: जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई ७.५०० कि.मी.) हेतु ३.०८३५ हे० हेतु वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

संदर्भ: FP/UK/ROAD/34380/2018 दिनांक २६.०६.२०१८ तथा इ.डी.एस आपत्ति दिनांक ०६.०३.२०१९।

महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग की आपत्तियों का निराकरण निम्न अनुसार किया जा रहा है:

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
१.	मोटर मार्ग के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बांस, बुरांश व देवदार के अत्यधिक वृक्ष बाधित होने के कारण पूर्व में किये गये समरेखण को निरस्त करते हुये नये सिरे से सर्वेक्षण कर पुनः प्रस्ताव तैयार किया जाये।	आपसे हुई वार्ता के क्रम में नया सर्वेक्षण नये सिरे से सर्वेक्षण कराया गया जिसमें तकनीकी रूप से लम्बाई अत्यधिक बढ़ रही है एवं पी०एम०जी०एस०वाई० के मानकों के अनुसार ग्रेड नहीं मिल पा रहा है तथा यह मोटर मार्ग भार सरकार से एन०आर०आर०डी०ए० से ७ कि.मी. ही स्वीकृत है जिस कारण इस समरेखण से मोटर मार्ग का बनना सम्भव नहीं है। अतः अधीक्षण अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त मसूरी द्वारा पूर्व में स्वीकृत समरेखण ही मोटर मार्ग हेतु उचित है।

(इं० बी०सी० पन्त)

अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड

लो०नि०वि०, कालसी

दिनांक: १० / ०६ / २०१९

पत्र सं०: /

प्रतिलिपि:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, एफ.आर.आई., देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(इं० बी०सी० पन्त)

अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड

लो०नि०वि०, कालसी